



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्या: 75/17

निर्णय दिनांक 21.03.2018

1. सीतादेवी पत्नी सत्यनारायण जाति अग्रवाल निवासी तहसील व जिला बीकानेर

—अपीलांत

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 08-10-2007

उपखण्ड अधिकार (उत्तर), बीकानेर

उपस्थित:

1. श्री आर.के.दास.गुप्ता, अभिभाषक अपीलांत
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांत ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के निर्णय दिनांक 08-10-2007 जिसके द्वारा रोचक गुप्ता पुत्र माणक गुप्ता को प्रदत्त की गई खातेदारी दिनांक 22-05-2006 एकतरफा तौर पर निरस्त की गई, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपनी बहस में बताया कि रोचक गुप्ता पुत्र माणक गुप्ता निवासी बीकानेर ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22-10-2005 को अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी खातेदारी भूमि के पास चक 496-150 आरडी(एल) के मुरब्बा नम्बर 135/33 के खसरा नम्बर 10 में 0.10, खसरा नम्बर 11 में 0.03, खसरा नम्बर 12 में 0.07, खसरा नम्बर 18 में 0.05, खसरा नम्बर 19 में

—2—

0.19, खसरा नम्बर 20 ता 22 में 3 एवं खसरा नम्बर 23 में 0.14 तथा खसरा नम्बर 24 में 0.08 बीघा इस प्रकार कुल 6.06 बीघा आवंटित की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत द्वारा तहसील कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा उक्त रिपोर्ट के आधार पर रोचक गुप्ता को वादगत् भूमि नियमानुसार आवंटन कर दी गई।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत के आदेश दिनांक 31-10-2005 की पालना में वादगत् भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 59 दिनांक 03-12-2005 राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि की दिनांक 31-05-2006 को खातेदारी सनद् जारी कर दी गई। तत्पश्चात् रोचक गुप्ता द्वारा अपनी उक्त खातेदारी भूमि को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 24-07-2006 को बिन्दु पत्नी राजकुमार तथा विजयदेवी पत्नी किशन गोपाल गुजर निवासी बीकानेर को विक्रय की दी गई। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर बिन्दु एवं विजयदेवी के नाम वादगत् भूमि का इंतकाल संख्या 67 दिनांक 30-08-2006 दर्ज कर दिया गया।

तत्पश्चात् वादगत् भूमि बिन्दु एवं विजयदेवी द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 25-04-2007 को अपीलांट को विक्रय कर दी गई तथा राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम जरिये इंतकाल संख्या 70 दिनांक 05-05-2007 बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया। अपीलांट वादगत् भूमि पर बतौर खातेदार टीनेन्ट काबिज है व काश्त कर रही है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष रामेश्वरलाल नामक व्यक्ति ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि अदालत मातहत द्वारा रोचक गुप्ता को किया गया आवंटन गलत है। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर पश्चातवर्ती खरीददारान व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान को कोई नोटिस, सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही अर्थात् अपीलांट के पीठ पीछे एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए रोचक गुप्ता को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया गया। जबकि अदालत मातहत द्वारा रोचक गुप्ता को किया गया आवंटन तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के उपरान्त कर दिया गया था। तत्पश्चात् स्वयं के स्तर पर कोई जाँच किये बिना ही पुनः तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपने

-3-

पूर्व आदेश दिनांक 22-05-2006 को एकतरफ तौर पर खारिज कर दिया गया। जबकि प्रश्नगत् भूमि अपीलांट की ऑक्यूपाईड खातेदारी भूमि थी।

अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व यह जाँच की जानी चाहिए थी कि मौके की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस संबंध में संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए थी। यदि वादगत् भूमि के मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जाती तो अदालत मातहत के समक्ष समस्त स्थिति स्वमेव सामने आ जाती कि वर्तमान में अपीलांट वादगत् भूमि की खातेदारी भूमि है तथा मौके पर उसका कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को वर्तमान खातेदार को नोटिस देकर सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था क्योंकि अपीलाधीन आदेश से उसके हित प्रभावित हुए हैं।

अदालत मातहत द्वारा बिना माईण्ड एप्लाई किये तथाकथित झूठी शिकायत के आधार पर जिसने अपना नाम व पता भी अंकित नहीं किया को आधार मानकर अपूर्ण व गलत तथ्यों के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। अदालत मातहत द्वारा जिस अधिसूचना/परिपत्र का हवाला देते हुए वादगत् भूमि को खारिज किया गया है उक्त अधिसूचना/परिपत्र प्रस्तुत मामलें पर लागू नहीं होता है क्योंकि अदालत मातहत द्वारा स्वयं अपने अपने आदेश में माना है कि उपनिवेशन अधिनियम में उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आवंटन पर कोई रोक नहीं है। इस प्रकार अदालत मातहत का स्वयं का आदेश विरोधाभासी आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में ए.आई.आर. 1978 एससी पेज 598 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 28-07-2012 को प्राप्त हुई जब हल्का पटवारी अपीलांट की खातेदारी भूमि आये व सूचित किया कि राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि आराजीराज दर्ज कर दी गई है। उन्होंने मियांद के बिन्दु पर आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना नोटिस,

-4-

सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा बिना देरी के जानकारी से यह अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। मियांद कण्डोन के लिए धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-10-2007 के विरुद्ध अपील दिनांक 10-09-2012 को प्रस्तुत की गई है। जोकि करीब 05 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपने मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट का यह कथन कि उसे दिनांक 28-07-2012 को संबंधित पटवारी के कथन पर कि अपीलांट की खातेदारी भूमि आराजीराज अंकित कर दी गई है, अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। अपीलांट का कथन मनगढ़त एवं बनावटी है। जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। वर्ष 2007 से 2012 तक अपीलांट द्वारा कोई जानकारी प्राप्त नहीं करना उसकी लापरवाही का द्योतक है। विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि विधि सोये हुए व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता। अपीलांट द्वारा जो मियांद को कण्डोन करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें

कोई युक्तियुक्त कारण अपील देरी से प्रस्तुत करने का नहीं बताया गया है। अपीलांट अपनी लापरवाही का फायदा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रकरण में यह निर्विवाद है कि अदालत मातहत द्वारा पूर्व में रोचक गुप्ता को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया था, परन्तु उक्त आवंटन अदालत मातहत द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर किया गया था। चूंकि वादगत् भूमि पूर्व ऑलोटी रोचक गुप्ता को आवंटित किये जाने के समय बीकानेर के मास्टर प्लॉन में अधिसूचित हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि का आवंटन स्मॉलपेच के तहत नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा तत्समय तमाम कार्यवाही

—5—

स्मॉल पेच आवंटन नियमों के तहत की गई थी। जबकि राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार मास्टर प्लान, बीकानेर में आने वाली कृषि भूमि को आवंटन नहीं किये जाने के निर्देश है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा उक्त अधिसूचना/परिपत्रों के आधार पर रोचक गुप्ता पुत्र माणक गुप्ता को आवंटित रकबा चक नम्बर 496-150 आरडी(एल) मुरब्बा नम्बर 153/33 की 6.06 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त किया गया है जो विधि अनुसार खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) अपीलांट ने अपील के साथ धारा मियांद प्रार्थना पत्र धारा 5 मियांद अधिनियम के तहत पेश किया है। इस संबंध में विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जहाँ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक हो वहाँ **liberal view should have been taken for condonation of delay.** अतः अपीलांट का मियांद प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट द्वारा अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

(2) हस्तगत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा जसवीर सिंह पुत्र सुब्बा सिंह जाति कम्बोज निवासी बीकानेर के स्माल पेच आवंटन में भूमि चक 496-150 आरडी(एल) के मुरब्बा नम्बर 153/33 की 6.06 बीघा भूमि आवंटन कराने के प्रार्थना पत्र पर संबंधित तहसीदार से रिपोर्ट एवं नक्शा प्राप्त किया गया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चक 496-150 आरडी(एल) के मुरब्बा नम्बर 135/33 के किला नम्बर 10 से 12, 18 से 24 कुल 6.06 बीघा भूमि अनकमाण्ड आराजीराज है।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित सभी पक्षकारान् को नोटिस जारी किये जाने पर सभी संबंधित पक्षकारों में से रोचक गुप्ता पुत्र माणक गुप्ता को चक 496-150 आरडी (एल) के मुरब्बा नम्बर 135/33 की 6.06 बीघा भूमि का किमतन आवंटन किया गया।

-6-

(3) प्रस्तुत मामलें में दिनांक 29-08-2007 को श्री रामेश्वरलाल द्वारा एक शिकायत अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई कि पटवारी हल्का नगासर ने चक 476-150 आरडी के एक मुरब्बे में पाचें बीघा भूमि स्माल पेच में आवंटन की रिपोर्ट करते हुए तथ्य को छिपाया है कि वह भूमि बीकानेर के मास्टर प्लान में है तथा गंगानगर जयपुर को जोड़ने वाले बाईपास पर है। पटवारी हल्का नगासर द्वारा मिलीभगत करके वादगत् भूमि रोचक गुप्ता को अलॉट करवाई है।

(4) उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र अदालत मातहत द्वारा संबंधित तहसीलदार से अपने पत्र क्रमांक 1499 दिनांक 30-08-2007 को शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त पत्र की पालना में तहसीलदार (भू.अ.), बीकानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 5535 दिनांक 14-09-2007 को वादगत् भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चक 496-150 आरडी(एल) वर्तमान व गत् 496-400 आरडी राजस्व ग्राम बीछवाल से बना है तथा ग्राम बीछवाल मास्टर प्लान में आता है।

(5) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावजों यथा परिपत्रों, निर्देशों एवं आदेशों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन व अध्ययन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि स्माल पेच आवंटन के तहत रोचक गुप्ता पुत्र माण गुप्ता को दिनांक 22-05-2006 को आवंटित की गई थी। जबकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व ही ग्राम राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) सपठित धारा 2 की उप धारा (1) के बिन्दु संख्या (10) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीकानेर के नगरीय क्षेत्र जिसमें राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं उक्त आदेश में बीछवाल भी सम्मिलित है। इस प्रकार राज्य सरकार की अधिसूचना प. 1(13)नविवि/3/72/पार्ट 11 दिनांक 21-08-2001 के द्वारा ग्राम बीछवाल नगरीय क्षेत्र में शामिल किया जा चुका था।

-7-

(6) हमारे मतानुसार जब वादगत् ग्राम/भूमि को वर्ष 2001 में ही नगरीय क्षेत्र परिधि नियन्त्रण हेतु शामिल किया जा चुका था तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस स्थिति को देखा जाना अपरिहार्य था कि क्या उक्त भूमि शहरी क्षेत्र की परिधि में होने के कारण स्माल पेच आवंटन हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर ना तो कोई गौर किया गया ना ही अपने अपीलाधीन आदेश में इस तथ्य का कोई विवेचन किया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा दिनांक 22-05-2006 को किया गया स्माल पेच आवंटन विधि विरुद्ध व राज्य सरकार की अधिसूचना/परिपत्रों के विपरीत किया गया आवंटन साबित है।

(7) वादगत् भूमि का कालान्तर में बिन्दु पत्नी राजकुमार व विजयदेवी पत्नी किशन गोपाल व तत्पश्चात् सीतादेवी पत्नी सत्यनारायण जाति अग्रवाल को बेचान किया जाना अपने आप में शून्य है क्योंकि अदालत मातहत द्वारा पूर्ववर्ती आवंटन ही राज्य सरकार की अधिसूचना/परिपत्रों व मंशा के विपरीत किया जाने से विधि विरुद्ध आवंटन है। ऐसे आवंटन पर की गई पश्चात्वर्ती कार्यवाही अपने आप में शून्य श्रेणी की कार्यवाही है।

(8) अदालत मातहत द्वारा रोचक गुप्ता पुत्र माणक गुप्ता को आवंटित रकबा चक 496-150 आरडी(एल) के मुरब्बा नम्बर 135/33 की 6.06 बीघा भूमि का आवंटन इसी आधार पर खारिज किया गया है कि राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार वादगत् भूमि मास्टर प्लान, बीकानेर में आने वाली कृषि भूमियों को आवंटन नहीं किये जाने के निर्देश है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि जब ग्राम बीछवाल को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22-08-2001 से नगरीय क्षेत्र में परिधि नियन्त्रण हेतु घोषित होने तथा शहरी क्षेत्र घोषित होने से उपखण्ड अधिकारी(उत्तर), बीकानेर को इस भूमि को स्मालपेच आवंटन का अधिकार प्राप्त नहीं था। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा दिनांक 22-05-2006 को स्मालपेच के तहत रोचक गुप्ता पुत्र माणक गुप्ता को किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही एबइनिशियों वाईड व शून्य आदेश

-8-

की परिभाषा का आदेश था। जिसे खारिज करने में अदालत मातहत द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांत की अपील की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-10-2007 जिसके द्वारा दिनांक 22-05-2006 को रोचक गुप्ता पुत्र माणक गुप्ता को किया गया आवंटन निरस्त किया गया है, को यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.03.2018 को सरे
इजलास सुनाया गया।

(डॉ०राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर